भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1774

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

चीनी के एमएसपी में वृद्धि

1774. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री चव्हाण रविन्द्र बसंतराव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को चीनी उद्योग से चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बढ़ती उत्पादन लागत, गन्ना बकाया और बाजार की स्थितियों को देखते हुए मौजूदा एमएसपी को संशोधित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीनी मिलों, किसानों और उपभोक्ताओं पर संभावित एमएसपी संशोधन के वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आकलन के परिणाम क्या हैं;

(ड.) चीनी के एमएसपी को संशोधित करने पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों, चीनी मिलों या किसान संघों के साथ कोई विचार-विमर्श/परामर्श किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कया परिणाम रहे?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): जी हाँ। चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के लिए चीनी उद्योग संघों से अनेक अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख): सरकार चीनी की मिल-द्वार मूल्यों पर लगातार नजर रख रही है। गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, जब भी उचित समझा जाएगा, उचित उपाय किए जाएँगे।

(ग) और (घ): जी नहीं।

(ङ): उपरोक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर के समान

(च): जी नहीं।
